रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032024-253231
CG-DL-E-19032024-253231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2024/फाल्गुन 29, 1945
No. 206] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2024/PHALGUNA 29, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2024

सा.का.नि. 220(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेडसमैन कैडर) भर्ती नियम, 2014 को, जहां तक कि उनका संबंध तकनीकी संवर्ग उप निरीक्षक (आर्मोरर) और उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (आर्मोरर) और उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तकनीकी संवर्ग, उप निरीक्षक (आर्मोरर) और उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'सक्षम प्राधिकारी' से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) 'महानिदेशक' से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ग) शेप-1, ऐसे चिकित्सा प्रवर्ग को निर्दिष्ट करता है जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2008 के स्थायी आदेश संख्या 04, तारीख 15 दिसंबर, 2008 के अधीन तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा समय-समय पर जारी पश्चातवर्ती संशोधनों में विनिर्दिष्ट है।

(2) उन शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है वहीं अर्थ होंगे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 में है।

3. **लागू होना**.- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ **(5)** से स्तंभ **(13)** में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **ज्येष्ठता**.- ज्येष्ठता, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, **1955** और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

7. **नियुक्ति**.- प्रत्येक व्यक्ति जिसने इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विहित अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, केवल उन्हें उस श्रेणी या श्रेणियों में नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, परंतु उनकी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दिनांक 15 दिसंबर, **2008** के स्थायी आदेश संख्या 04/2008 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए पश्चातवर्ती संशोधन के अधीन विहित चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 हो। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को पिछले पांच वर्ष में कोई बडा दंड न मिला हो और वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हो।

8. **निरर्हता**.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

9. **गैर-भारतीय नागरिकों की अपात्रता**.- कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के सिवाय नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात नेपाल या भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजित करने से वर्जित नहीं कर सकेगी।

10. अधिवर्षिता.- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जिस मास में 60 वर्ष की आयु पूरी करता/करती है उस मास के अंतिम दिन के अपरान्ह से या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जैसा विहित किया जाए, सेवानिवृत्त होगा:

परंतु वह व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख मास की पहली तारीख को है, वह सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होगा।

(2) जैसा कि उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट है, किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु के परे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा।

11. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी भी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप-निरीक्षक (आर्मोरर)।	100 * (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	चयन।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(6)
लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।		
(7)		
लागू नहीं होता		
सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपए) में सहायक उप निरीक्षक (आर्मोरर) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे: -** **1.** उप महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्ष; **2.** कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; **3.** द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; **4.** सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; **5.** एक सदस्य जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो- सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे: -** **1.** उप महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्ष; **2.** कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; **3.** द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; **4.** सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; **5.** एक सदस्य जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो- सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप-निरीक्षक (मोटर मैकेनिक)।	290* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	चयन।

(6)
लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपए) में सहायक उप निरीक्षक (मैकेनिक मोटर यान) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे: -** **1.** उप महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्ष; **2.** कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; **3.** द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; **4.** सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; **5.** एक सदस्य जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो- सदस्य।	लागू नहीं होता।

प्रशासनों के ऐसे अधिकारी,- (क) **(i)** जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या **(ii)** जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपए) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव और चिकित्सा मानक हैं,- **(i)** व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय या राज्य परिषद या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा मैकेनिक मोटर यान ट्रेड में दो वर्ष का औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्ष की अवधि के मैकेनिक मोटर यान ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र ; **(ii)** संबंधित ट्रेड के क्षेत्र में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; और **(iii)** अभ्यर्थी, चिकित्सा श्रेणी 'शेप-1' में हो। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे: -** 1. उप महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; 3. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; 4. सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; 5. एक सदस्य जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो- सदस्य।	

[फा. सं. एम-पांच-1/2021-स्था.-डीए-1(पी)]

जी. पार्थसारथी, संयुक्त सचिव (पी-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2024

G.S.R. 220(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force, Group 'B' posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to posts of Technical Cadre Sub-Inspector (Armourer) and Sub-Inspector (Motor Mechanic), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sub-Inspector (Armourer) and Sub-Inspector (Motor Mechanic), in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Reserve Police Force, Technical Cadre, Sub-Inspector (Armourer) and Sub-Inspector (Motor Mechanic), Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "competent authority" means the appointing authority or authority referred to in the Central Reserve Police Force Act, 1949, and the Central Reserve Police Force Rules, 1955;

(b) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force;

(c) "SHAPE-1" refers to the medical category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008, dated the 15th December, 2008, and subsequent amendments issued by the Central Government from time to time.

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. **Application.-** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. **Seniority.-** Seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955, and general instructions issued by the Central Government from time to time.

7. **Appointment.-** Every person who have completed their qualifying or eligibility service as prescribed in the Schedule annexed to these rules, shall only be considered for appointment or promotion to the grade or grades provided they are in medical category SHAPE-1 as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008, dated the 15th December, 2008, and subsequent amendments issued by the Central Government from time to time. Further, such every person shall not have major punishment and adverse remark in the Annual Performance Appraisal Report in the preceding five years.

8. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. **Ineligibility of non-citizens of India.**- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed or employed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

10. **Superannuation.-** (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time :

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month shall stand retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (1).

11. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sub-Inspector (Armourer).	100 *(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Sub-Inspector (Armourer) in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force-	Not applicable.

on a regular basis subject to qualifying the courses prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force. **Note.**- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force-Member; 3. Second-in-command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 5. One member not below the rank of Inspector having adequate knowledge of relevant trade-Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force-Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force-Member; 3. Second-in-command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 5. One member not below the rank of Inspector having adequate knowledge of relevant trade-Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub-Inspector (Motor Mechanic).	290 * (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.

(6)
Not applicable

(7)
Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Sub-Inspector (Mechanic Motor Vehicle) in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying the courses prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force. **Note.-** Where juniors who have completed their	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force-Chairperson;	Not applicable.

qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory administrations,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300); and (b) possessing the following educational qualifications, experience and medical standards,- (i) possessing two years Industrial Training Institutes certificate in Mechanic Motor Vehicle recognised by the National or State Council for Vocational training or any other recognised institution or National or State apprenticeship certificate in the Mechanic Motor Vehicle Trade of three years duration from a recognised institution; (ii) three years practical experience in the field of concerned trade; and (iii) the candidate shall be in the medical category SHAPE-1. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	2. Commandant, Central Reserve Police Force-Member; 3. Second-in-command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 5. One member not below the rank of Inspector having adequate knowledge of relevant trade-Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force-Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force-Member; 3. Second-in-command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 5. One member not below the rank of Inspector having adequate knowledge of relevant trade-Member.	

[F. No. M.V 1/2021-Estt-DA-1(P)]

G. PARTHASARATHI, Jt. Secy. (P.II).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.19 21:27:20 +05'30'